न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०

पदमसिंग तनय सवदल सींग यादव /निगरानी/3270/2018/सागर/245(?)

निवासी- बीना जिला सागर म०प्र० -- आवेदक

|| विरुद्ध ||

सीताराम वल्द जगन्नाथ बैरागी

निवासी- ग्राम कुंजिया तहसील बीना जि० सागर म०प्र०

--- अनावेदक

आवेदनपत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता -

आवेदक निम्न प्रार्थना करता है :-

(1):- यह कि आवेदक का प्रकरण श्रीमान नायब तहसीलदार, महोदय बीना के न्याया० में लंबित था जिसका प्र०क्र०11-अ/70 वर्ष 2015-16 आदेश पत्रिका दिनांक 4-4-2018 से परिवेदित होकर श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

(2):- यह कि आवेदक ने माननीय न्याया० के समक्ष धारा-250 म०प्र० भू- राजस्व संहिता का प्रकरण श्रीमान नायब तहसीलदार, बीना के न्यायालय में प्रस्तुत किया था। आवेदक की कृषि भूमि खसरा नंबर 330/2, 330/3, 330/5 रकबा क्रमशः 0-290 हे०, 0-100 हे०, 0-040 हे० कुल रकबा 0-420 हे० पर आवेदक की कृषि भूमि ग्राम कुंजिया प०ह०नं०-7 में स्थित है जिसे बैनामा दिनांक 30-8-95, 08-07-1996, 19-10-1995, 5-8-96 को आवेदक ने उक्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की थी तभी से आवेदक उक्त भूमियों पर काबिज है।

(3):- यह कि अनावेदक के सीताराम पिता जगन्नाथ बैरागी के द्वारा आवेदक की कृषि भूमि पर कब्जा कर पक्का निर्माण

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी / 3270 / 2018 / सागर / भू0रा0

पदमसींग विरूद्ध सीताराम

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07–3–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से यह निगरानी नायब तहसीलदार बीना जिला सागर के प्रकरण कमांक 11 / अ–70 / 2015–16 में पारित आदेश दिनांक 4–4–2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 6–5–2019 को कलेक्टर सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। सदस्य 07/3/19	